रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27042024-253882
CG-DL-W-27042024-253882

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27—मई 3, 2024 (वैशाख 7, 1946)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27—MAY 3, 2024 (VAISAKHA 7, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	205
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	365
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1157
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1175
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	5
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1587
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	205
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	365
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1175
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1587
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी, 2024

सं. 1-प्रेस/2024—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:—

(i) महानिरीक्षक भीष्म शर्मा, तटरक्षक पदक (0247-एल)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 2-प्रेस/2024—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर, समादेशक सुनील दत्त (0662-डी) को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

समादेशक सुनील दत्त (0662-डी) ने 26 दिसंबर 2005 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. दिनांक 16 अगस्त, 2023 को लगभग 1930 बजे तटरक्षक वायु एन्कलेव पोरबंदर को यह सूचना मिली कि अरब सागर के मुंबई तट पर चीन के अनुसंधान पोत एमवी डोंग फेंग कन टन II पर तैनात चालक दल के एक सदस्य को हृदयाघात हुआ है तथा तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। अंधेरे में संचालन पर विचार करते हुए, पोरबंदर में एएलएच एमके-III एक्स -835 स्क्वाड्रन (सीजी) को तुरंत दमन के लिए रात्रि फेरी करने के लिए भेजा गया।

3. बिना किसी देरी के अफसर ने 2030 बजे उड़ान भरी और 2230 बजे हेलीकॉप्टर दमन पहुंच गया। दमन में तेजी से टर्न एराउंड सर्विसिंग करके और मौसम संबंधी जानकारी लेने के बाद, इस मिशन के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। सभी बाधाओं के खिलाफ उड़ान भरते हुए वह एक पिच-डार्क रात व अशांत समुद्र में 130 नौटिकल मील दूर मौके पर पहुंचे और विचिंग अप प्वाइंट की पहचान के लिए 100 फीट तक नीचे तक हेलीकॉप्टर पहुंचाया। विमान और क्रू दोनों के पास नाइट विजन डिवाइस न होने के कारण जोखिम बहुत भारी था। अपने व्यापक अनुभव और बेहतर पायलटिंग कौशल के साथ, अफसर ने रात्रि विज़न सहायता के बिना गरजते समुद्र में जहाज से 30 फीट की ऊंचाई पर विमान को मंडराने लगा। अफसर ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लगभग 20 मिनट तक विचिंग अप प्वाइंट के ऊपर हेलीकॉप्टर से मंडराते रहे। विमान विषम परिस्थितियों में था। अफसर के साहसिक निर्णय और कार्य करने के हौसले के कारण गंभीर रोगी को शीघ्र निकालने में सफलता प्राप्त हुई।

4. डार्क घंटों के दौरान तटरक्षक अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से समुद्र में किसी विदेशी नागरिक का बहुमूल्य जीवन बचाने में सफलता प्राप्त हुई जिसकी चीन के दूतावास द्वारा संगठन की सराहना हुई।

5. एक अन्य चुनौतीपूर्ण कार्य में 12 जून 2023 को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 'बिपरजाय' के दौरान ओखा के पश्चिम 25 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित आयल रिग कि सिंगापुर के कर्मी की जान आने वाले तूफान के कारण खतरे में थी। लगभग 1400 बजे राजकोट के डिटैचमेंट में तैनात एएलएच एमके-III को तेलरिग में फंसे कर्मी दल को निकालने का काम सौंपा गया था क्योंकि अत्यधिक खराब मौसम एवं अशांत समुद्र के कारण सभी प्रयास विफल थे।

6. डेटैचमेंट कमांडर के रूप में अधिकारी ने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और अलर्ट के 30 मिनट के भीतर हैलो शुरू किया। असाधारण पायलटिंग कौशल और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने संकट ग्रस्त तेलरिग तक पहुंचने के लिए 300 फीट और नीचे की ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम में उड़ान करते हुए सफलता पूर्वक दूरी तय की। उन्होंने बिना किसी पूर्व अनुभव के 45 नॉट से अधिक की हवा की गति के साथ खराब मौसम की स्थिति में लैंडिंग की। बहुत कम दृश्यता के साथ कई बाधाओं की मौजूदगी ने मिशन को खतरनाक बना दिया था। आंधी के समान चलती तेज हवाओं, गर्जना के साथ ऊंची उठती समुद्री लहरों के बीच फिसलन भरी छोटी डेक पर लैंडिंग करना अत्यंत खतरनाक था, इसके लिए साहस और उत्कृष्ट कौशल की आवश्यकता थी। अफसर ने खतरनाक चुनौती पूर्ण चक्रवाती परिस्थितियों में पांच घंटे से अधिक समय तक बिना रुके उड़ान करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 26 कर्मियों को बचाया जा सका।

7. जीवन को खतरे में डालने वाली कठिनाइयों के बावजूद 27 बहुमूल्य जीवन बचाने में उनके निस्वार्थ समर्पण ने व्यवसायिकता के सर्वोच्च मानकों और साहस का प्रदर्शन किया है जो सेवा की परंपरा के अनुरूप है।

8. समादेशक सुनील दत्त (0662-डी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

9. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षकपदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 3-प्रेस/2024—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर, समादेशक (क. श्रे.) सौरभ (0735-एस) को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

समादेशक (क. श्रे.) सौरभ (0735-एस) ने भारतीय तटरक्षक में 23 दिसंबर, 2007 में सेवा आरंभ की।

2. भयानक चक्रवात "बिपरजाय" के दौरान ओखा के पश्चिम 25 नाटिकल मील की दूरी पर स्थित आयल रिग कि सिंगापुर पर सवार 24 कर्मियों की जान, आने वाले चक्रवात के कारण अत्यंत संकट में थी। अफसर ने बचाव अभियान में भाग लेने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया।

3. 13 जून, 2023 के अरुणोदय काल में, मौसम की जानकारी लेने के पश्चात अफसर ने जीवन बचाव अभियान हेतु अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर मार्क – III की उड़ान भरी। आयल रिग समुद्र में 25 नाटिकल मील की दूरी पर स्थित था और चक्रवात तट से टकराने वाला ही था। ऐसी परिस्थितियों में उत्कृष्ट उड़ान दक्षता एवं दृढ़ साहस की जरूरत थी। इन्होंने 560 मीटर की ऊंचाई तथा 1000 मीटर से कम की दृश्यता वाले बादल के मध्य 300 फीट और आवश्यकतानुसार उससे कम की ऊंचाई पर प्रतिकूल परिस्थितियों में तेलरिग तक पहुंचने के लिए उड़ान भरी। भंयकर मौसम में, 150 फीट के छोटे डेक पर लैंडिंग करना अत्यंत खतरनाक था। ऊपर में 45 नाट की रफ्तार से चल रही हवा, मूसलाधार बारिश तथा नीचे गरजते समुद्र सहित अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने फिसलन भरी डेक पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। रोटर को चालू रखते हुए, इन्हों ने छह लोगों को उठाया और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये अगले बचाव अभियान के लिए तुरंत ही वापस हुए। निकट आता चक्रवाती तूफान और तेजी से खराब होता मौसम, बचाव अभियान को खतरनाक बना रहे थे। अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए इन्होंने बचाव अभियान को जारी रखने का निश्चय किया। 1000 मीटर तक गिरती दृश्यता, मूसलाधार बारिश के थपेड़े खाती रिग के फिसलन भरी डेक पर इन्होंने एक बार फिर हेलीकॉप्टर को उतारा और 8 लोगों को वहां से उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

4. हालांकि, चक्रवात के तेजी से बढ़ने के कारण मौसम अत्यंत खराब हो गया था, रिग पर अभी भी जो 10 लोग, जिनके प्राण संकट में थे, उनके जीवन बचने के अवसर कम होते जा रहे थे। 2 ट्रिप पूरी करने के बाद हेलीकॉप्टर की क्षमता भी समाप्त हो रही थी लेकिन तमाम विषम व दुष्कर परिस्थितियों के बावजूद अफसर ने दूसरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया। इन्होंने तूफानी मौसम का सामना करते हुए नीचे गरजते समुद्र के मध्य बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरी और रिग पर विमान को उतारा। यह करतब अत्यंत खतरनाक था और जान बूझकर खतरा मोल लेने वाला था, लेकिन इन्होंने 10 लोगों को रिग से उठाकर भंयकर तूफान का सामना करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

5. एक दूसरे अभियान में , 27 जून, 2023 को तटरक्षक वायु एंक्लेव, पोरबंदर को सूचना मिली कि पोरबंदर से लगभग 35 नाटिकल मील दूर अरब सागर में एक एमटी गैस पिसेस में सवार एक कर्मी को हृदयाघात हुआ तथा तत्काल चिकित्सीय निकासी आवश्यक थी। अफसर ने स्थिति को तुरंत भांप लिया और वायुयान के कैप्टन के रूप में कठिन मिशन का नेतृत्व किया। इन्होंने अपने सहकर्मी को मिशन के विषय में अवगत कराया तथा बिना किसी समय गंवाए खराब मौसम तथा 1000 फीट की ऊंचाई तक के बादल के बीच 1625 बजे उड़ान भरी। सभी बाधाओं के बावजूद प्रतिकूल प्रकृति का सामना करते हुए उड़ान भरकर गरजते सागर एवं 200 फीट की कम दृश्यता में वायुयान को नीचे स्तर तक उतारा और विंचिंग प्वाइंट की पहचान की। अपने बेहतरीन उड़ान कौशल के साथ गरजते हुए सागर के मध्य हैवी रोल एवं पिच को महसूस करते हुए

पोत के 30-35 फीट ऊपर वायुयान को हूबर की सिधाई में रखा। बचाव बास्केट को विंचिंग अपस्पाट तक बिलकुल सीध में उतारा। बाधाओं से दूरी बनाते हुए रोगी को सफलता पूर्वक वहां से निकाला।

6. दोनों अवसर पर समादेशक (क. श्रे.) सौरभ ने अनुकरणीय साहस, कर्तव्य के प्रतिनिष्ठा एवं खतरनाक व प्रतिकूल परिस्थितियों में एकाग्र रहकर 25 लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाया।

7. समादेशक (क. श्रे.) सौरभ (0735-एस) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

8. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 4-प्रेस/2024— राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:—

(i) उप महानिरीक्षक अनिल कुमार पराईल (0265-सी)

(ii) उप महानिरीक्षक जमाल ताहा (4085-जे)

(iii) दीपक रॉय, प्रधान अधिकारी (ए आर), 01111-जेड

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January, 2024

No. 1-Pres/2024—The President is pleased to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the under mentioned officer on the occasion of the Republic Day, 2024:—

(i) Inspector General Bhisham Sharma, Tatrakshak Medal (0247-L)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

S. M. SAMI
Under Secretary

No. 2-Pres/2024— The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Sunil Dutt (0662-D) on the occasion of the Republic Day, 2024.

CITATION

Commandant Sunil Dutt (0662-D) joined the Indian Coast Guard on 26 Dec 2005.

2. On 16 Aug 2023 at about 1930 hours, Coast Guard Air Enclave Porbandar received information that a crew onboard the Chinese research vessel, MV Dong Fang Kan Tan-II, in Arabian sea off Mumbai had cardiac attack and required urgent medical evacuation. Considering operation in dark hours, ALH MK-III ex-835 SQN (CG) at Porbandar was immediately mobilized to undertake night ferry to Daman.

3. Without any delay the officer got airborne by 2030 hours and reached Daman at 2230 hours. After quick turnaround servicing and meteorological updation at Daman, helicopter got airborne for the mission. Flying against all odds he reached the datum, 130 nautical miles into rough seas in a pitch-dark night and descended helicopter to as low as 100 feet to identify the winching up point and obstructions in its vicinity. His risk was considerably enhanced by the fact that, neither the aircraft nor the crew was equipped with any Night Vision Devices. With his vast experience and superior piloting skills, the officer brought the aircraft into a hover at 30 feet over the vessel in raging sea without having night vision aids. The officer maintained an extremely difficult manual hover on winching up point for almost 20 minutes unmindful of his own safety, with the aircraft being subjected to extreme conditions. The bold decision and daring act of the officer enabled quick evacuation of critical patient under challenging and testing conditions.

4. The swift operation undertaken by CG Advanced Light Helicopter(ALH) during the dark hours enabled saving a precious life of a foreign national at sea and also brought appreciation to service from the Chinese Embassy.

5. In another challenging operation, on 12 June 2023, during extreme severe cyclone 'Biparjoy' the lives of crew on oil rig Key Singapore 25 nautical miles west of Okha were in mortal peril due to approaching storm. At about 1400 hours, ALH MK-III which was detached to Rajkot for safety was tasked to evacuate the crew stranded on oil rig as all efforts to do so were futile due extreme inclement weather and rough sea conditions.

6. The Officer as Detachment Commander immediately assessed the situation and launched helo within 30 mins of alert. Displaying exceptional piloting skills and indomitable courage, he successfully navigated adverse weather flying at 300 feet and below to reach the distressed oil rig. He executed a landing in severe weather conditions with wind speed exceeding 45 knots without any prior experience of operating on oil rigs with constrained landing space. The presence of multiple obstructions coupled with very poor visibility made the mission dangerous. To affect landing on a small slippery deck with gale force winds and high waves roaring around was exceptionally risky which demanded daring courage and outstanding skills. The officer flew nonstop for more than five hours in dangerous challenging cyclonic conditions rescuing a total of 26 crew.

7. His selfless dedication in saving a total of 27 precious lives in the face of life-threatening adversities exemplified courage and highest standards of professionalism which is in line with the highest traditions of service.

8. Commandant Sunil Dutt (0662-D) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

9. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

S. M. SAMI
Under Secretary

No. 3-Pres/2024—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant (JG) Saurabh (0735-S) on the occasion of the Republic Day, 2024.

CITATION

Commandant (JG) Saurabh (0735-S) joined the Indian Coast Guard (ICG) on 23 Dec 2007.

2. On 12 June 2023, during extreme severe cyclone 'Biparjoy' the lives of 24 crew on oil rig 'Key Singapore' 25 nautical miles west of Okha were in mortal peril due to approaching cyclone. The officer volunteered for the rescue mission.

3. On first light of 13 June 2023, post quick update on weather, the officer took off in Advanced Light Helicopter(ALH) MK-III helicopter for the life saving mission. The oil rig was located 25 nautical miles into sea and the cyclone was about to hit the coast. The situation demanded outstanding flying skills and resolute courage. With cloud base at 500 feet and visibility less than 1000 meters, he navigated through adverse weather flying at 300 feet and below as required over sea to reach the oil rig. Landing on a miniature deck perched at 150 feet, completely open to vagaries of heavy weather was perilous. With wind speeds exceeding 45 knots, seas thundering below and torrential rains, he executed landing on a slippery deck with obstructions all around. Keeping the rotors on, he picked up 06 survivors and brought them to safety. He returned immediately for next rescue. With cyclone approaching nearer, weather deteriorating rapidly making the mission riskier. Placing his personal safety secondary, he decided to continue with the mission. With visibility dropping below 1000 meters, torrential rains lashing the rig, he landed once again on the slippery deck to pick up 08 more survivors and brought them to safety.

4. However, by then the weather became more difficult to negotiate, as the cyclone has been advancing quickly. The window of opportunity was narrowing further with 10 more lives on the rig at mortal peril. Having done 02 trips already, the helicopter was nearing limits of endurance. However, the officer decided against all odds for another attempt. He negotiated the squally weather, flew at very low altitude with raging seas below and landed on the rig. The feat was nothing short of being perilous with conscious calculated risk, and he picked up the last 10 survivors from the rig. Braving severe weather, at limits of safe endurance he brought the survivors to safety.

5. In another operation, on 27 June 2023, Coast Guard Air Enclave Porbandarreceived information that a crew onboard the MT Gas Pisces in Arabian sea approx. 35 nautical miles off Porbandar had cardiac attack and required urgent medical evacuation. The officer was prompt in assessing the situation and led the daunting mission as Captain of aircraft. He promptly briefed crew regarding conduct of the mission and without delay got airborne by 1625 hours in inclement weather with cloud base below 1000 feet. Flying against all odds braving the fury of nature, he reached the area 35 nautical miles into rough seas and descended helicopter to as low as 200 feet in poor visibility to identify the winching up point and obstructions in vicinity. With his superior piloting skills, the officer brought the aircraft into a hover at 30-35 feet over the vessel in raging sea experiencing heavy roll & pitch. He lowered the rescue basket precisely to the winching up spot and successfully evacuated the patient while maintaining clearance from high obstructions.

6. On both the occasions, Commandant (JG) Saurabh, displayed exemplary courage, devotion to duty and decisiveness in life threatening adversities saving a total of 25 precious lives.

7. Commandant (JG) Saurabh (0735-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

8. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

S. M. SAMI
Under Secretary

No. 4-Pres/2024—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers on the occasion of the Republic Day, 2024:—

(i) Deputy Inspector General Anil Kumar Parayil (0265-C)

(ii) Deputy Inspector General Jamal Taha (4085-J)

(iii) Dipak Roy, Pradhan Adhikari (AR), 01111-Z

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

S. M. SAMI
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan Digitally signed by Kshitiz Mohan Date: 2024.04.27 09:05:43 +05'30'